केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली – 110032

फाइल सं.बी-27013/01/2016/हिन्दी | 1428　　　　　　　　दिनांक:17.02.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालयों/परियोजना कार्यालय में की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के संबंध में।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 05.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेश के तहत राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है ताकि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि की जा सके। साथ ही गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक अर्थात वर्ष में 4 बैठकें होनी अनिवार्य है।

अत: सभी क्षेत्रीय निदेशालयों/परियोजना कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर उसकी तिमाही बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। साथ ही, समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आयोजित तिमाही बैठक की अगली तिमाही की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से भिजवाएं।

यह सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(हेमलता रहेजा)
प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक/कार्यालय प्रमुख, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों/परियोजना कार्यालय, के.प्र.नि.बोर्ड

....

प्रतिलपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सहायक　　　　- अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य सचिव अनुभाग - सदस्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. प्रभाग प्रभारी - सूचना प्रौद्योगिकी　　　　- केंद्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(प्रशासनिक अधिकारी)